न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर
समक्ष
एम0के0सिंह
सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 1250/11/2010 विरूद्व आदेश दिनांक 29.07.2010 पारित व्दारा –अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना – प्रकरण कमांक 113/2009–10 अपील

पुरूषोत्तम सिंह पुत्र फूल सिंह ठाकुर
ग्राम मृगपुरा तहसील व जिला मुरैना ---- अपीलान्ट

विरूद्व

म.प्र.शासन व्दारा पटवारी मृगपुरा मुरैना ----रिस्पाण्डेन्ट

(अपीलांट की ओर से अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव)
(रिस्पा0 की ओर से पेनल लायर श्री धर्मेन्द्र शुक्ला)

आ दे श

(आज दिनांक 17–8–2015 को पारित)

यह अपील अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 113/2009–10 अपील में पारित आदेश दिनांक 29.7.2010 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अपीलांट ने अपर कलेक्टर मुरैना के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर मांग की कि उसके एंव उसके सहभागीदारों के नाम ग्राम मृगपुरा में भूमि सर्वे नंबर 2168, 2185, 2186, 2187, 2201 (आगे जिन्हें वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) है इन्ही भूमियों के बंदोवस्त के पूर्व सर्वे कमांक 1641, 1578, 1579, 1642, 1643 थे , किन्तु बदोबस्त के दौरान तैयार किये गये नक्शे में कम–बढ़ भूमि दर्शित होने की त्रृटि होने से पूर्व नक्शे के अनुसार सुधार किया जावे। अपर कलेक्टर मुरेना ने प्रकरण कमांक 160/2007–08 बी 121 पंजीबद्व किया तथा आवेदन में वर्णित तथ्यों की जांच तहसीलदार मुरैना से कराई। तहसीलदार मुरैना ने सर्किल के राजस्व निरीक्षक से वादग्रस्त भूमियों की जांच कराई। राजस्व निरीक्षक ने पूर्व नक्शे , वर्तमान नक्शे तथा मौके की जांच कर पंचनामा सहित जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया

जिसके आधार पर तहसीलदार मुरैना ने नक्शा दुरूस्ती का प्रस्ताव अपर कलेक्टर मुरैना को प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान रामदीन पुत्र पोहपसिंह ने आपत्ति प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर मुरैना ने प्रकरण कमांक 160/2007–08 बी 121 में सुनवाई कर आदेश दिनांक 26–4–2010 पारित किया तथा अपीलांट का नक्शा दुरूस्ती आवेदन अमान्य कर दिया। इस आदेश के विरूद्व प्रथम अपील अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रकरण कमांक 113/2009–10 अपील में पारित आदेश दिनांक 29.7.2010 से अपील अस्वीकार की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह द्वित्तीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ अपील मेमो में दर्शाए गए बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने गये तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलांट ने उसके सहस्वामित्व की वादग्रस्त आराजी कमांक 2168, 2185, 2186, 2187, 2201 के नक्शा दुरूस्ती की मांग की है एंव बताया है कि इन्हीं भूमियों के बंदोवस्त के पूर्व सर्वे कमांक 1641, 1578, 1579, 1642, 1643 थे एंव पूर्व में इन सर्वे नंबरों की नक्शे में भूमि की जो आकृतियॉ (सीमा–रेखायें) रहीं हैं बंदोवस्त के वाद निर्मित नक्शे में कम हो गई है और इसी कमीवेशी के सुधार हेतु अपीलांट ने अपर कलेक्टर को म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 107 के अंतर्गत आवेदन दिया है। अपर कलेक्टर ने आवेदन के तथ्यों की जांच तहसीलदार मुरैना से कराई – जैसाकि अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 26–4–2010 में अंकित है कि " **साक्ष्य में स्वयं आवेदक, राजस्व निरीक्षक के कथन अंकित कराये हैं जिसमें आवेदक ने अपने कथन में वही बात दोहराई है जो अपने आवेदन पत्र में कही गई है। श्रीनिवास शर्मा राजस्व निरीक्षक ने अपने कथन में बताया है कि पुराने नक्शे के अनुसार नये नक्शे में भिन्नता पाई गई, जिसको लाल स्याही से नक्शे में दर्शाया** है। " अर्थात राजस्व निरीक्षक ने जांच प्रतिवेदन में अंकित किया है कि पूर्व नक्शे एंव वर्तमान नक्शे में भिन्नता है अर्थात आवेदक की वादग्रस्त भूमियों की सीमा–रेखायें पूर्व के नक्शे अनुसार न होकर बंदोवस्त के नवीन नक्शे में कम हैं जिसके कारण राजस्व निरीक्षक ने दोनों नक्शों का मिलान कर तुलनात्मक स्थिति अनुसार नवीन नक्शे में मौके की स्थिति के मान से सही सीमा–रेखायें दुरूस्त किये जाने हेतु लालस्याही से चिन्हांकित कर तहसीलदार मुरैना को जांच

प्रतिवेदन पंचनामा सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है एंव तहसीलदार ने छानवीन उपरांत राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन से सहमति व्यक्त कर तदाशय का प्रस्ताव अपर कलेक्टर मुरैना को अग्रेषित किया है, इसके वाद भी अपर कलेक्टर मुरैना व्दारा मौके की स्थिति से असहमति किस आधार पर व्यक्त कर अपीलांट का आवेदन अमान्य किया है ? अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 26.4.2010 में स्पष्ट अंकन नहीं है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश दिनांक 26.4.2010 दूषित है और इन तथ्यों पर अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना ने आदेश दिनांक 29.7.2010 पारित करते समय ध्यान न देने की भूल की है।

5/ अपर कलेक्टर मुरैना के आदेश दिनांक 26.4.2010 के पद 8 के अवलोकन पर पाया गया उन्होंने निष्कर्ष दिया है कि तहसीलदार मुरैना ने नक्शा सॅशोधन की अनुशंसा करने के पूर्व तर्क संगत ढंग से दस्तावेजों के आधार पर विनिर्दिष्ट तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया कि नक्शे में त्रृटि किस–स्तर पर हुई है। अपर कलेक्टर मुरैना की यह शोच व्यक्त करती है कि उन्होंने न्यायायिक दृष्टिकोण न अपनाते हुये सरसरी तौर पर निर्णय लिया है। प्रकरण में जब तहसीलदार मुरैना व्दारा जांच कराये जाने पर वादग्रस्त भूमियों की सीमा–रेखाओं की पुराने नक्शे एंव वर्तमान नक्शे में भिन्नता मिली है अर्थात आवेदक की भूमियों की सीमा–रेखायें पूर्व के नक्शे अनुसार न होकर बंदोवस्त के नवीन नक्शे में कम हैं राजस्व निरीक्षक ने दोनों नक्शों का मिलान कर तुलनात्मक स्थिति का आकलन करते हुये मौके की स्थिति के मान से सही स्थिति अनुसार सीमा–रेखायें दुरूस्त किये जाने हेतु लालस्याही से अक्स में सीमा–रेखायें चिन्हांकित कर स्थिति स्पष्ट कर दी । तदुपरांत तहसीलदार मुरैना ने प्रकरण का परीक्षण कर राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन से सहमति व्यक्त कर तदाशय का अनुसॅशा सहित प्रस्ताव अपर कलेक्टर मुरैना को भेजा है, ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर मुरैना व्दारा आदेश दिनांक 26.4.2010 में यह निष्कर्ष देना , कि तहसीलदार मुरैना ने नक्शा सॅशोधन की अनुशंसा करने के पूर्व तर्क संगत ढंग से दस्तावेजों के आधार पर विनिर्दिष्ट तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है, अपर कलेक्टर का यह निष्कर्ष प्रकरण में आई वास्तविकता के विपरीत है । न्याय की परिभाषा है कि किसी भी पक्षकार को अनुचित लाभ प्राप्त न हो एंव पीड़ित पक्षकार को न्याय मिले, किंतु विचाराधीन प्रकरण में अपर कलेक्टर मुरैना ने प्रकरण में आये वास्तविक तथ्यों को नजरन्दाज करते हुये अपीलांट के नक्शा दुरूस्ती आवेदन को निरस्त करने में भूल की है, जिसके कारण

अपर कलेक्टर, मुरैना व्दारा पारित आदेश दिनांक 24.6.2010 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है तथा प्रकरण के तथ्यों की वास्तविक स्थिति में जाये बिना अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा पारित आदेश दिनांक 29.7.2010 भी दोषपूर्ण पाये जाने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 160/2007—08 बी 121 में पारित आदेश दिनांक 26.04.2010 एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 113/2009—2010 अपील में पारित आदेश दिनांक 29.07.2010 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा अपील स्वीकार कर निर्देश दिये जाते हैं राजस्व निरीक्षक व्दारा लाल—स्याही से चिन्हित अक्स एंव तहसीलदार मुरैना का प्रतिवेदन इस आदेश अंग माना जावेगा । अपर कलेक्टर, मुरैना उनके न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 160/2007—08 बी 121 इस आदेश के पालन हेतु तहसीलदार मुरैना की ओर भिजवॉय।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

\ 15 /

बन्दोबस्त क नक्श

संशोधित नहीं किया गया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी।